न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री ईश्वर लाल खटीक , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2024

दिनांक 10.06.2024

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी/आवेदक श्री रामलाल पिता हीरालाल खटीक निवासी करसाना द्वारा उनकी निजी खातेदारी में दर्ज मौजा पराना तहसील डूंगला में स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 388/8 रकबा 0.4320 हैक्टैयर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है इस आराजीयात पर रिकार्डेड पहुंच मार्ग/रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त आराजीयात में बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 552/338 रकबा 0.2701 हैक्टैयर स्थित है जिस पर होकर आते जाते है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 388/8 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, भूमि पर जाने का रास्ता बिलानाम आराजी नंबर 552/338 में से रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार डूंगला से कराई जाने पर उनके द्वारा मौके की स्थिति एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/86 दिनांक 24.05.2024 से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया कि मौजा पराना तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 388/8 रकबा 0.4320 हैक्टेयर भूमि आवेदक श्री रामलाल पिता हीरालाल खटीक निवासी करसाना की खातेदारी में दर्ज है । उक्त आराजी तक पंहुच मार्ग के रूप में ग्राम पराना की बिलानाम आराजी नंबर 552/338 रकबा 0.2701 हैक्टेयर में से होकर मौके पर रास्ता उपलब्ध है। मौके पर पराना की बिलानाम आराजी नंबर 552/338 रकबा 0.2701 हैक्टेयर में से 10x90 =90 वर्ग मीटर यानि 0.009 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में प्रस्तावित कर मय राजस्व नक्शा न्यायालय मे प्रेषित किया था। तथा प्रस्तावित रास्ते के उपयोग मे आने वाली भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि 8910/– अक्षरे आठ हजार नौ सौ दस रूपये बनती है। जो राजस्व मद 0029–00–105–01–00 सरकारी सम्पदाओ की बिक्री चालु मे जमा करवाना प्रस्तावित किये जाने से तहसीलदार डूॅगला को लिखा गया था। तहसीलदार डूॅगला द्वारा अपने पत्र कमांक राजस्व/2024/04 दिनांक 05.06.2024 के द्वारा प्रार्थी से प्रस्तावित प्रस्तावित रास्ते के उपयोग मे आने वाली भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि राशि 8910/– अक्षरे आठ हजार नौ सौ दस रूपये, राजस्व मद 0029–00–105–01–00 सरकारी सम्पदाओ की बिक्री चालु मे जरिये चालान जमा जी.आर.एन नम्बर 90198643 दिनांक 03.06.2024 से राजकोष मे कराई जाकर रिपोर्ट प्रेषित की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी व नक्शा ... अवलोकन किया गया। मौजा पराना की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 388/8 रकबा 0.4320 हैक्टेयर ... पहुंच मार्ग का अभाव होकर अन्य कोई रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.11.07 14:27:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 388/8 रकबा 0.4320 हैक्टेर, पर आने जाने हेतू अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही होना प्रकट होता है। इस कारण पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड से यहा पुर्णतया प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी नंबर 338/8 रकबा 0.2701 हैक्टेयर पर आने जाने हेतू अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 "ए" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार डूँगला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.05.2024 मे वर्णित मौजा पराना की बिलानाम 338/8 रकबा 0.4320 हैक्टेयर मे प्रस्तावित नवीन रास्ता नक्शा ट्रेस अनुसार (लम्बाई X चौडाई) 10 X 90 =90 वर्ग मीटर यानि 0.009 हैक्टेयर मे प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 338/8 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, पर पहुचने हेतु पहुच मार्ग के रूप मे राजस्व रेकार्ड़ मे सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाकर नक्शे मे तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता हेतू प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नही होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस सम्बन्ध मे प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के स्वामित्व को लेकर वाद-विवाद न्यायालय मे मे दाखिल कराने का अधिकार नही होगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार डूँगला को सलग्न नक्शा ट्रेस की प्रति के अनुसार राजस्व रेकार्ड़ मे नियमानुसार अंकन करे साथ ही नक्शे मे भी तरमीम आवश्यक रूप की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

(ईश्वर लाल खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. तहसीलदार डूँगला
2. भू-अभिलेख निरीक्षक रावतपुरा
3. पटवारी हल्का करसाना
4. प्रार्थी श्री रामलाल पिता हीरालाल जी खटीक निवासी करसाना तह डूँगला

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

(ईश्वर लाल खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.11.07 14:27:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner